



P.P.N. (P.G.) College, Kanpur

96/12 Mahatma Gandhi Marg, Kanpur -208001

•Telefax: (0512)2361924 • Mob.: 8707538344 •

•Website: www.ppncollege.org •Email:ppncollegekanpur@gmail.com •

K.I.-5.2.1. (QnM) Percentage of placements of outgoing students

INDEX

S.N	Year	No. of student	Details of students placed (Page no)
1	2018-19	07	1-7
2	2019-20	04	8-11
3	2020-21	10	12-21
4	2021-22	11	22-32
5	2022-23	29	33-61

Prof. Abha Singh
Convener
IQAC

Prof. Suman Singh
Convener
NAAC

Prof. Anoop Kumar Singh
Principal
P.P.N. P.G. College



P.P.N. (P.G.) College, Kanpur

96/12 Mahatma Gandhi Marg, Kanpur -20800


•Telefax: (0512)2361924 • Mob.: 8707538344•


• Website: www.ppncollege.org • Email: ppncollegekanpur@gmail.com •

K.I.- 5.2.1 (QnM) Percentage of outgoing students progressed to higher education year wise during the last five years

Index

S.N	Year	No. of student	Details of students progressed to higher education Page No.
1	2018-19	145	62 - 67
2	2019-20	194	68 - 78
3	2020-21	181	79 - 89
4	2021-22	199	90 - 107
5	2022-23	247	108 - 144


Prof. Abha Singh
Convener
IQAC


Prof. Suman Singh
Convener
NAAC


Prof. Anoop Kumar Singh
Principal

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक/बेसिक-1/ 6870-6878 /2018-19 दिनांक सितम्बर 08, 2018

तैनाती/आदेश

शासनादेश संख्या:1267/68-5-2018 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 18.08.2018 एवं शासनादेश संख्या:1321/68-5-2018 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2018 एवं तद्क्रम में जारी सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक:बे०शि०प०/7263-7507/2018-19 दिनांक 19.08.2018, पत्रांक:बे०शि०प०/8041-8265/2018-19 दिनांक 31.08.2018 एवं पत्रांक:बे०शि०प०/8301-545/2018-19 दिनांक 02.09.2018 के अनुक्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 41556 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर हेतु आवंटित पदों के प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या:बेसिक-1/4573-81/2018-19 दिनांक सितम्बर 05, 2018 द्वारा सहायक अध्यापक पद वेतनमान ग्रेड-3, वेतन बैंड-2, रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू०: 4200 में एक वर्ष के परीक्षा अवधि पर नियमित/नियुक्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उ०प्र० बेसिक शिक्षा(अध्यापक)(तैनाती)नियमावली, 2008 (यथासंशोधित) में प्राविधानित तैनाती समिति द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति-पत्र में दणित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन तैनाती प्रदान करते निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी संगत अभिलेखों सहित तैनाती हेतु आवंटित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता/मार्ग-व्यय देय नहीं होगा।

कण्ट्रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	श्रेणी/जाति	विरोध आरक्षण	प्रशिक्षण योग्यता	पता	प्र०वि०	विकास क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1700000974	SWETA SINGH	OM PRAKASH SINGH	F	1991-05-03	GEN	—	D.L.Ed	H NO 02 BHAGWANT TATIYA SHYAM NAGAR THANA CHAKERI PIN 208013	NAVDIHAV A	BANSI

उक्त तैनाती आदेश प्रश्नगत भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं/शासनादेश/विभागीय आदेश/निर्देश के अधीन होगी।

(राम सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक/बेसिक-1/ 6870-6878 /2018-19 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बीसी, सिद्धार्थनगर।
- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), मण्डल-गोरखपुर/बस्ती।
- वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा), सिद्धार्थनगर।
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों(छायाप्रति व अन्य) का परीक्षण कर ले एवं अर्हता आदि के सम्बन्ध में यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/अध्यापक पात्रता परीक्षा/सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अकपत्र/प्रमाण-पत्र, जाति/निवास/विशेष आरक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों के दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ-साथ (1)मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र मूल रूप में (2) दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (3) पूर्व से सेवायोजित होने/न होने एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने/न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र एवं (4) आवेदाहित होने अथवा एक ही जीवित पति/पत्नी होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र सहित तैनाती आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित विकास क्षेत्र के खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचित करते हुए-कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

Selfed Hand
Q. 10

नियुक्ति आदेश

शासनादेश संख्या-1267/68-5-2018 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1321/68-5-2018 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2018 एवं सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक: बी०शि०पी०/7263-7507/2018-19 दिनांक 19.08.2018 के अनुपालन में 41556 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बीटी०सी० द्विचरणीय बीटी०सी० (उर्दू), विशिष्ट बीटी०सी० प्रशिक्षण, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में द्विचरणीय डिप्लोमा या प्रारम्भिक शिक्षा बी०एल०एड० में चार वर्षीय उपाधि या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (मान्यता मानक और प्रक्रिया) विनियमावली-2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निर्धारित द्विचरणीय डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित कक्षा-1 से 5 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और सरकार द्वारा संचालित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची के सापेक्ष दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 काउन्सिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनका विवरण निम्नलिखित है कि उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1981 के पन्डहवे संशोधन तथा संशोधित के प्राविधानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इनके नाम के सम्मुख परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तदर्थ/औपचरिक नियुक्ति, लेवल-6 (वेतन मेट्रिक 35400-112400) में साधारण वेतन 35400 में एक वर्ष के परिवर्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाता है, यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों तथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियों/जाति प्रमाण पत्र/भूतपूर्व वैदिक (स्वयं), दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्बन्धी प्रमाण के अभिलेख यदि जॉचोपरान्त झूटे, कूटस्थित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित/फर्जी पाये जाते हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ साथ इनकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरादवित्त सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति पत्र माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

क्र० सं०	रजिस्ट्रेशन	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्मतिथि	नियुक्त विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6	7
22	1700003323	HARI SEWAK AWASTHI	GENERAL	1995-12-08	PS KUNDAU	MADHOGAR H

(भगवत पटेल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जालौन स्थान उरई।

पृष्ठांक संख्या/नियुक्ति/ 11822-34 /2018-19 तददिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ०प्र०, निशातगंज लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), झोंसी मण्डल झोंसी।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पिण्डारी जालौन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन स्थान उरई।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, (बेसिक शिक्षा), जालौन स्थान उरई।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को नियमानुसार आवंटित विद्यालय में योगदान ग्रहण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित विद्यालय के प्र०अ०/इ०प्र०अ० को।
12. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अन्य प्रमाण पत्रों की 02 सत्त प्रमाणित प्रतियों सहित सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से जॉचोपरान्त ही नियुक्त विद्यालय में 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश, स्वतः निरस्त हो जायेगा। इसके लिये वे स्वतः उत्तरदायी होंगे।
(अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र (मूलरूप में)।
(ब) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र (मूलरूप में)।
(स) इस आशय का प्रमाण पत्र कि एक से अधिक जीवित पति/पत्नी (जो भी सम्बन्धित हो) नहीं हैं।
(द) अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें, कि वह भविष्य में अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण की मांग नहीं करेगा/करेगी।

13. कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

इ०प्र०अ०/अस्थापक प्रमुख उ०प्र०

सम्बन्धित के समस्त अभिलेखों/प्रमाणपत्रों/जातिपत्रों की प्रतिलिपि/मिलान वाले डूबे निष्पत्तुमात्र हेतु आ० पत्र
प्र. अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण

(भगवत पटेल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।6/9/18
BEOP(M)



भारत सरकार/ Government of India

वित्त मंत्रालय/ Ministry of Finance // राजस्व विभाग/ Department of Revenue

केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूरु अंचल

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, BENGALURU ZONE

पी.बी.सं.5400, सी.आर.भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूरु-560001

P.B.NO.5400, C.R. BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU-560001

Office email: ccbz-excise@nic.in

Section email: ao.estt-pccobz@gov.in

Phone: 080-22864523 (257/258)

File No: GCCO/II/31/40/2021-ESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-BENGALURU

नियुक्ति प्रस्ताव/OFFER OF APPOINTMENT

सेवा में To: (By Speed Post/E-mail)

Shri Piyush Dwivedi,
S/o Shri A K Dwivedi,
H.No.113, Gandhigram, Harjindar Nagar,
Kanpur, Uttar Pradesh, PIN 208007.

Rank No. SL/II/01869
Mobile No. 8182887384
Email id: 2-dwivedi@gmail.com

विषय : संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर निरीक्षक (कें.कर) के पद के लिए आबंटन - नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में।

Sub: - Allocation to the post of Inspector (C.Tax) on the basis of results of Combined Graduate Level Examination, 2018 - Offer of Appointment - Reg.

संदर्भ:- दि.26.10.2021 के कार्यालय पत्र फैं.सं.II/(31)/40/2021-O/o-PrCC-CGST-Zone-Bengaluru

Ref:- This office letter F.No.II/(31)/40/2021-O/o-PrCC-CGST-Zone-Bengaluru dated 26.10.2021

श्री सुश्री Piyush Dwivedi ने शारीरिक परीक्षण / शारीरिक मानक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने पर कर्नाटक के संयुक्त आयुक्तालयों में केन्द्रीय कर के निरीक्षक के संवर्ग में स्थानापन्न पर, सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में और सामान्य भत्ते जो समय-समय पर केंद्र सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य हैं, नियुक्त करते हैं।

Shri/Ms. Piyush Dwivedi has qualified in the Physical Test / Physical Standard test and is hereby appointed to officiate in the cadre of INSPECTOR (CGST) in the Combined Commissionerates of Karnataka, in the Level 7 of Pay Matrix of CCS (Revised Pay) Rules, 2016 plus usual allowances that are admissible to Central Government Employees from time to time

2. नियुक्ति पर, उन्हें Mysuru Central Tax में तैनात किया जाता है तथा निम्नलिखित पते एवं अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दिया जाता है।

Name: Piyush Dwivedi

Rank No. SL/III/01869

On appointment, he/she is posted to **Mysuru Central Tax** and is directed to report before the Principal Commissioner/Commissioner, Mysuru Central Tax, S1, S2, Vinaya Marga, Siddartha Nagar, Mysuru - 570011.

3. नियुक्ति की शर्तें निम्न प्रकार से होंगी:

The conditions of appointment are enumerated below:

- a) वर्तमान में यह नियुक्ति अस्थायी है और परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी सूचना या कोई भी कारण बताए बिना निलम्बित कर सकते हैं। कार्यभार ग्रहण करने से पहले, संलग्नित प्रपत्र में दिए गये वचन पर हस्ताक्षर करना होगा तथा वे जिन अधिकारी के सामने कार्यभार ग्रहण करेंगे/करेगी उन्हें वही प्रस्तुत करना होगा।

The appointment is temporary for the present and may be terminated at any time during the period of probation without any notice and without assigning any reasons thereof. Before joining duty, he/she will have to sign the Undertaking in the form enclosed and deliver the same to the Officer before whom he reports for duty.

- b) वे यह ध्यान रखें के उन्हें इस विभाग में विद्यमान नियम, अनुशासन और आचरण के अनुरूप रहना होगा तथा किसी भी नियम के उल्लंघन पर, वह सीसीएस (आचरण) नियम और सीसीएस (सीसीएस) नियमों के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

He should also note that he/she has to conform to the rules, discipline and conduct prevailing in this department and on violation of any rules; he will be liable for action under CCS (Conduct) Rules and CCS (CCA) Rules.

- c) कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा अन्य सरकारी कार्यालयों या अन्य जगह पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन (आवेदनों) को विभागाध्यक्ष अपने विवेकानुसार रोक सकते हैं।

Any application(s) for appointment in other Government Offices or elsewhere submitted by him/her after joining services can be withheld by the Head of the Department at his/her discretion.

- d) कर्नाटक के संयुक्त आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में कहीं भी उनका स्थानांतरण हो सकता है।

He/She is liable for transfer anywhere within the jurisdiction of the Combined Commissionerates of Karnataka.

- e) उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पहले निर्धारित प्रपत्र में भारतीय संघ-राज्य के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा।

He/She should, prior to assuming Office, take an Oath of Allegiance to the Indian Union in the prescribed form.

- f) यह नियुक्ति, आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा लिखे गए सत्यापन और सत्यता के आधार ही होगी।

The appointment is subject to verification and correctness of the claims made by the candidate in his/her application.

4. यदि वे उपर्युक्त शर्तों पर यह नियुक्ति प्रस्ताव तथा इस आदेश में दिए गए अन्य शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो दिनांक **15.01.2022** को या उससे पहले निम्नलिखित मूल दस्तावेजों सहित उपर्युक्त पैरा 2 पर उल्लिखित अधिकारी के सामने उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें कार्य पर नहीं लिए जाएंगे तथा आगे कोई सूचना दिए बिना यह नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

If he/she accepts this offer of appointment on the above conditions, and also other conditions enumerated in this Order, he/she should report for duties before the Officer mentioned at para 2 above, with the following documents in original **on or before 15.01.2022** failing which he/she will not be taken on duty and the offer of appointment is liable to be cancelled without any further notice.

- (i) यदि आप वर्तमान में पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत रहे हैं तो, अपने नियोक्ता से निर्वहन प्रमाणपत्र और अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो इस नियुक्ति प्रस्ताव के संदर्भ में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

Discharge certificate/ Relief report and certificate of good conduct from the employer in case was employed in any of the Offices under the State/Central Government/Public Sector Undertakings presently/previously. In case he/she is presently employed, the certificate should be obtained with reference to this Offer of Appointment.

- (ii) रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड (X-10), यदि पंजीकृत हो तो।
Employment exchange registration card (X-10), if registered.

5. उन्हें उस तारीख से सेवा में कार्यरत माना जाएगा, जिस तारीख को उन्होंने वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण किया होगा। संवर्ग में वरीयता समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार नियत की जाएगी तथा बाद में सूचित की जाएगी।

He/She will be considered to have joined service from the date on which he actually joins for duty. The seniority in the grade will be determined according to the orders in force and communicated later.

6. वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा काल पर रहेंगे। अभ्यर्थी अपने परिवीक्षा काल में 90 दिन से ज्यादा अतिरिक्त साधारण छुट्टी नहीं ले सकता।

He/She will be on probation for a period of 2 years from the date on which he/she reports for duty. The candidate cannot avail more than 90 days of Extra-Ordinary Leave during probation.

7. उन्हें, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के दो वर्ष के अंदर, इस पद के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

He/She should pass the Departmental Examination, prescribed for the post within 2 years from the date of joining duty failing which he will be liable for action under the Departmental Examination Rules.

8. DOPT O.M.No.28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 पैरा 15 और 18 के अनुसार परिवीक्षा की अवधि ऐसी अवधि या अवधि के अनुसार बढ़ाई जा सकती है जो आवश्यक हो, इस शर्त के अधीन की कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है।

As per para 15 and 18 of DOPT O.M.No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 the period of probation may be extended by such period or periods as may be necessary, subject to the condition that the total period of probation does not exceed double the prescribed period of probation in the event of : (a) not undergoing the prescribed training, (b) not passed the departmental examination or (c) does not complete 75% of the total duration prescribed for probation on account of availing any kind of leave.

9. वे इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता के पात्र नहीं होंगे, परंतु यदि वे पहले से ही कोई स्थायी सरकारी नौकरी में हैं, या अस्थायी सेवा के तीन वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो यात्रा भत्ता के लिए पात्र होंगे।

I/501748/2021

Name: Piyush Dwivedi
Rank No. SL/III/01869

He/She will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless he/she is a permanent Government servant or has completed three years of temporary service.

10. नियुक्ति अनंतिम है और उचित माध्यमों द्वारा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चरित्र और पूर्ववत् का सत्यापन होगा। यदि सत्यापन में यह साबित होता है कि उनके द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र गलत हैं या पुलिस सत्यापन का प्रतिकूल रिपोर्ट आये तो कोई कारण बताए बिना उनकी सेवाओं को रद्द किया जा सकता है और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सातवीं संस्करण) के लिए आरक्षण पर विवरणिका के परिशिष्ट 14 में निर्धारित प्रपत्र में उचित प्राधिकरणों द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के संबंध में जारी जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र और अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षा विभाग, नई दिल्ली के दिनांकित 15.11.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93 - स्था. (एससीटी), में विनिर्दिष्ट उचित प्राधिकरणों द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों स्वीकार किए जाएंगे। [प्रमाण: डी ओ पी टी. का. जा. सं.36012/1/2012-स्था(आरक्षण) दि. 24.04.1990 & सं. 18011/2(s)/2016- स्था (B)(i) दि. 29.06.2016]

The appointment is Provisional and is subject to the Caste/Tribe Certificates being verified through the proper channels along with Police Verification of Character & Antecedents. If the verification reveals that the claim as belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe / Other Backward Classes, as the case may be, is false, or in case of any adverse police verification report, then the services can be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice further action may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates. The caste/tribe certificates in respect of SC/STs, issued by the appropriate authorities in the prescribed form in Appendix 14 of the Brochure on Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Seventh edition) and caste certificates in respect of OBCs issued by the appropriate authorities as specified in the Department of Personal and Training, New Delhi's O.M.No.36012/22/93 - Estt. (SCT), dated 15.11.1993 and in the prescribed form will only be accepted. [AUTHORITY: DoPT's O.M.No.36012/1/2012-Estt.(Res.) dated 08.10.2015 & OM No.18011/2(s)/2016-Estt.(B(i) dated 29.06.2016]

(संजय पंत / SANJAY PANT)

आयुक्त, केंद्रीय कर (नियुक्ति प्राधिकारी)
COMMISSIONER, CENTRAL TAX
(APPOINTING AUTHORITY)

संलग्न :- यथोपरि (वचन)।

Encl: - As above (Undertaking).

प्रति Copy to:

1. The Principal Commissioner/ Commissioner, Mysuru Central Tax;
2. The CAO/ACAO/AO/Supdt (Vig.), Mysuru Central Tax.
3. The AO (Estt.B), PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone.
4. Guard File/EO/Service Records.

Digitally Signed by Sanjay

Pant

Date: 16-12-2021 15:29:50

Reason: Approved



Vandana Ma'am
today at 11:16 AM





4

Vandana Ma'am

MAHARANA PRATAP INTER COLLEGE, GORAKHPUR
 Phone No. : 2333155

IDENTITY CARD




 प्रो. मनीषा धिमान
 महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज
 गोरखपुर

Monika Dhiman

Father's Name : Mr. Sitaram Dhiman

D.O.B. : 29.09.1989

Designation : Lecturer

Joining Date : 22.11.2018

Retirement Date : 31.03.2052

Pan Card No. : BHDPD1502R

Adhar Card No. : 2703 7773 8055

Address : H.No. - 28, Siddharthnagar
 Rampuram Phase - I, Shyamnagar
 Kanpur - 208013

Mobile : 9335597740



कार्यभार ग्रहण आख्या

सेवा में,

श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई

द्वारा

खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि० क्षेत्र भरखनी, जनपद हरदोई

विषय - कार्यभार ग्रहण आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में

महोदय,

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के आदेश पत्रांक संख्या
बेसिक/वि/15708-16253 दिनांक 04-09-2018 के निर्देशों के अनुपालनार्थ श्री
प्रखर निगम पुत्र श्री सन्तोष कुमार को प्रा० वि० पचाईवरा

वि० क्षेत्र भरखनी, जनपद हरदोई में आज दिनांक 11/9/2018 को सभा

12:45 PM सहायक अध्यापक के पद पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराया

जाता है।

कार्यभार ग्रहण आख्या विद्यालय के पत्र व्यावहार रजिस्टर के क्रमांक
1222 पर अंकित है। सूचना सेवा में प्रेषित है।

नाम	पद	मौलिक नियुक्त में आवृत्त विद्यालय का नाम	जन्मतिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं समय	बैंक का नाम आका संख्या
श्री प्रखर निगम	स.अ.क.	प्राथमिक विद्यालय - पचाईवरा	14-03-1985	11/9/2018 12:45 PM	राजधानी बैंक 504627291025

प्रखर
कार्यभार ग्रहण करने
वाले के हस्ताक्षर

खण्ड शिक्षा अधिकारी
भरखनी

अभिजात कुमार
कार्यभार ग्रहण करने
वाले के हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक
पचाईवरा

rms.upsdc.gov.in + [7]

English

मानव सम्पदा उत्तर प्रदेश
MANAV Sampada UTTAR PRADESH
A HRMS APPLICATION FOR EMPLOYEE MANAGEMENT



An e-Governance effort by National Informatics Centre

DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION , UTTAR PRADESH

Id in : (HRMS Code -924546) -->> PRAKHAR NIGAM , ASSISTANT TEACHER
Office : PACHDEORA COMPOSITE

: Gen

Logged Time : 22 Dec 2023 10

eral Leave Module Transfer Module ACR/APAR Payroll Service Book

Employee Information

Name PRAKHAR NIGAM
19/03/1995
n ASSISTANT TEACHER
nber 8707029901
partment DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION
partment DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION
ffice PACHDEORA COMPOSITE



Establishment Detail

ntment DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION
e Name BEO BHARKHANI
e Mobile Number 05852232598

Estd. Office Email Beobhaar[Dot]Hr-Up[At]Gov

Office Administrator

Mobile Number
Phone Number

Department Administrator

MAHENDRA DEV
Directorbasiceducation[At]Gmail[Dot]Com
Mobile Number *****
Phone Number 05222780391

State Administrator

Saurabh Gupta
Ehrms-Up[Dot]Gov[Dot]In
Mobile Number *****
Phone Number



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 8775/36/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 20 अगस्त, 2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा – 2017

चयन – सूची

पदनाम – सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017/दिनांक 12.12.2017 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के सन्दर्भ में आयोजित सहायक प्राध्यापक ऑनलाईन परीक्षा – 2017 के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदनाम – सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र के निम्नांकित तालिका में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 1 जून, 2018 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक + अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

1 सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	योग
कुल पदों की संख्या	83	29	54	59	225
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	27	10	18	20	
कुल पदों में से अस्थिबाधित नि:शक्तजन के लिये आरक्षित पद					9
कुल पदों में से दृष्टिबाधित नि:शक्तजन के लिये आरक्षित पद					9
कुल पदों में से श्रवणबाधित नि:शक्तजन के लिये आरक्षित पद					7

मुख्य सूची

क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1024822	VIKAS PITRE	M	UNR	GEN
2	1008134	NAGESHWAR WAST	M	UNR	GEN
3	1001191	KAILASH KUMAR THAKRE	M	UNR	OBC
4	1029597	SAUMIT BANERJEE	M	UNR	GEN
5	1014677	ASHWINI KUMAR NIGAM	M	UNR	GEN
6	1009586	POOJA JAIN	F	UNRF	GEN
7	1027065	SANGEETA TOMAR	F	UNRF	GEN
8	1016102	VINOD KUMAR MISHRA	M	UNR	GEN

20-08-18

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
38	1016808	PREETI KHARE	F	UNRF	GEN
39	1004946	VARSHA GAUTAM	F	UNRF	GEN
40	1010069	SADHNA SACHDEVA	F	UNRF	GEN
41	1008238	SHUCHITA CHANDORKAR	F	UNRF	GEN
42	1029170	MUKESH KUMAR KUMHAR	M	UNR	GEN
43	1027478	ASTHA DWIVEDI	F	UNR	GEN
44	1015185	SHIRSHA MONDAL	F	UNR	GEN
45	1005263	SUMANTA ..	F	UNR	GEN
46	1020456	MAHENDRA SINGH	M	UNR	OBC
47	1024472	PRATISTHA DWIVEDI	F	UNRF	GEN
48	1005355	ANIS MOHAMMED	M	UNR	GEN
49	1017690	MUKESH KUMAR NIRANJAN	M	UNR	OBC
50	1016337	VINEET PRAKASH SINGH	M	UNR	GEN
51	1011337	DEVENDRA KUMAR MISHRA	M	UNR	GEN
52	1011947	PRASHANT CHOURASIA	M	OBC	OBC
53	1026345	ARTI SHARMA	F	UNRF	GEN
54	1015443	NEETA MISHRA	F	UNRF	GEN
55	1010308	MUKESH SINGH MEWADA	M	OBC	OBC
56	1006738	MEETU MOTIYANI	F	प्रावधिक UNRF	OBC
57	1017616	PUSHPALATA KAMLESHIYA	F	UNRF	GEN
58	1018849	JAI SHANKAR SINGH	M	OBC	OBC
59	1007239	ARCHNA AKHAND	F	UNRF	SC
60	1006943	DIVYA VIMAL	F	UNRF	SC
61	1027734	SUSHMITA SHRIVASTAVA	F	UNRF	GEN
62	1016118	NEHA JAIN	F	UNRF	GEN
63	1025793	VINOD SINGH KUSHWAH	M	OBC	OBC
64	1019225	SANGITA BASRANI	F	UNRF	GEN
65	1017625	MANEESHA SAXENA	F	UNRF	GEN
66	1008026	POOJA SHARMA	F	UNRF	GEN

20.08.18

4. आवेदकों द्वारा सबमिट ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित प्रत्येक प्रविष्टियों को ही शत-प्रतिशत सही मानते हुए इन प्रविष्टियों के आधार पर तथा आवेदक को प्राप्त लिखित परीक्षा में अर्जित अंको + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंको के योग की मेरिट आधार पर चयन परिणाम तैयार किया गया है। जारी किया गया चयन परिणाम निम्नांकित कडिका के अध्यक्षीन समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही मान्य रहेगा, आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करने की स्थिति में स्वतः ही आवेदक की चयन की अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी -

(1) चयन सूची की अनुशंसा विभाग को इस शर्त के साथ अग्रेषित की जावेगी कि विभाग चयन सूची में चयनित मुख्य सूची/अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता की समस्त शर्तें एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियां शत-प्रतिशत सही हैं अथवा नहीं, आवेदक के मूल अभिलेखों से सूक्ष्मता से मिलान/सत्यापन कार्य पूर्ण कराकर समुचित पुष्टि उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया में शासन निर्देशानुसार साक्षात्कार को विलोपित किया गया है। अतः चयनित किये समस्त आवेदकों के नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से समस्त आवेदकों की अर्हताएं विज्ञापन में विज्ञापित वर्णित व्यवस्था अनुसार जाँच की जावेगी, जाँच उपरांत ही विभाग द्वारा आवेदकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर सकेंगे। चयनित आवेदकों में से यदि किसी आवेदक की अर्हताएं विज्ञापन अनुसार पूर्ण नहीं होती हैं, तो विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित कर आयोग को भी अवगत करायेगे।

5. न्यायालयीन प्रकरण वाले 01 अभ्यर्थी का चयन परिणाम रोका जाकर न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन रखा गया है।

6. विज्ञापित कुल 225 पदों में से 30 पद (अ.ज.जा.-30) योग्य आवेदक/आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल पदों में निःशक्तजन श्रेणी हेतु 25 पद (अस्थिबाधित-09, श्रवणबाधित-07, दृष्टिबाधित-09) विज्ञापित है परन्तु निःशक्तजन श्रेणी के पर्याप्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण (अस्थिबाधित-03, श्रवणबाधित-07, दृष्टिबाधित-08 पद) कुल 18 पद रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में निःशक्तजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित के विज्ञापित पदों से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अतः कुल 18 पद निःशक्तजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गये हैं। इस प्रकार कुल 30+18 = 48 पद रिक्त रहे हैं।

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
20.08.18

132

[Handwritten signature]
(रेनु पन्त)
सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर